

3350

chq w/ ND30

3108



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 3093958d76fdbf199dbd

Receipt Date : 24-Sep-2020 09:24:41 am

Receipt Amount : 24000/-

Amount In Words : Twenty Four Thousands Rupees Only

Token Number : 20200000077932

Office Name : SRO - Bokaro

Document Type : Sale Deed

Payee Name : SANOJ KUMAR (Vendee)

GRN Number : 2002039613



600/-
600/-
600/-
OR

| | | |
|---|-------------------------|------------------------|
| 21 के अधीन ग्राहक भारतीय सं. | :- For Office Use :- | <i>QDQ</i> |
| नियम 1899 की अनुसूची। संख्या..... | <i>SRO</i> | <i>A(1) 18000 = 00</i> |
| अधीन यथावत् स्टाम्प-शुल्क लगाया गया 84000 | <i>84000</i> | <i>Sub 3 = 00</i> |
| ।।। या स्टाम्प शुल्क सं. विमुक्त है। | <i>83</i> | <i>PY 1 = 00</i> |
| <i>29/9/20</i> | <i>निवेदन पदाधिकारी</i> | <i>4 = 00</i> |
| | | <i>18004 = 00</i> |
| | | <i>29/9/20</i> |

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Sanoj Kumar

Haripad Meheria 20.09.2020

दस्तावेज़ से अंचल के ग्रामीण बौद्धगोड़ा
अंचल के ग्रामीण बौद्धगोड़ा



दस्तावेज़ में शाफिल प्लॉट
एंजे कमि से बाहर है।

बिक्रेता का नाम— श्री हरिपद माहथा, UID No. 3060 4315 6489, PAN- CJRPM8192F,
पिता— स्व० चन्द्रशेखर माहथा, जाति:— मूमिहार ब्राह्मण, पेशा— खेती, निवास स्थान—
बौद्धगोड़ा, पो०— सतनपुर, थाना— पिण्डाजोरा, जिला:— बोकारो, (झारखण्ड) सी०. एन०. टी०.
एकट के दायरे से बाहर है।

क्रेता का नाम— श्री सनोज कुमार, UID NO. 8345 6505 2590, PAN- CRLPK9045B,
पिता— श्री चन्द्रिका ठाकुर, जाति:— ठाकुर, पेशा:— नौकरी, निवास स्थान:— सेक्टर 3 ए,
थाना मोड़, बी० एस० बी० के० कॉलौनी, पो० वो थाना— बी० एस० सिटी, जिला:— बोकारो,
(झारखण्ड), राष्ट्रीयता:— भारतीय।

लेख्यप्रकार :— बिक्रय पत्र (केवला दस्तावेज़)

मूल्य मोवलक:— 6,00,000 रुपये, (छ: लाख रुपये) मात्र।

मौजा:— “बौद्धगोड़ा” के अन्दर रकवा 05 डी०, (पॉच डिसमिल) जमीन मात्र, मालिक जमीनदार झारखण्ड सरकार अंचल कार्यालय चास। सालाना मालगुजारी 10 पैसा मात्र।

जमीन की किस्म:— कच्चा रास्ता के बगल में आवासीय योग्य खाली जमीन है, यह जमीन चास नगरपालिका का वार्ड नं० 30 में अवस्थित है। जिसका होटडींग नं० 0300000364000MO है।

तफशील:— जिला बोकारो वो जिला अंचल निबंधन कार्यालय बोकारो स्थान चास, परगना खासपेल थाना:— चास अन्तर्गत 35 नं० थाना भूक्त मौजा “बौद्धगोड़ा” के अन्दर सर्वे सेटलमेन्ट माप के समय बिक्रेता के पितामह बनु माहथा के नाम से पर्चा भुक्त रैयती स्वतंत्र का निजांश दखलिकार सम्पत्ति होता है। जिसका खाता नं० 27 (सताईस) नया खाता नं० 171 (एक सौ एकहत्तर) प्लॉट नं० 23 (तैईस), नया प्लॉट नं० 81 (एकासी), में से रकवा 3. 50 डी० जमीन एवं प्लॉट नं० 26 (तैईस), नया प्लॉट नं० 81 (एकासी), में से रकवा 1.50 डी० जमीन एक खाता दो प्लैटों में से नवशा मुताबीक अपना निजांश रकवा 05 डी०, (पॉच डिसमिल) जमीन मात्र आज आपके हाथ केवला बिक्री किया।

(2)

Jyoti Kumar

Hans Mehta
Plot No. 29. 9. 2020

जो कि दस्तावेज के साथ नक्शा नक्थी किया हुआ "Plotting No. 2" चिह्नित जमीन लाल रंग से रंगा हुआ दर्शाया गया है। जिसका चौहड़ी:-

| | |
|----------------------------|---|
| उक्त :- सीता पति देवी | दक्षिण :- प्लॉटिंग नं० १ |
| पूरब :- साक्षि अपार्टमेन्ट | पश्चिम :- 15 फीट छौड़ा रोड फ्रेंटा द्वारा 05 फीट छोड़ा गया |

उक्त जमीन का भौलुम नं० :- 01, पेज नं०:- 170, सन् 2017-18 तक लगान दर्ज है।

बिक्रेता का बंशावली

एक प्रति इस दस्तोवज के साथ संगलग्न है।

चूंकि विक्रय पत्र (केवाला दस्तावेज) का विवरण यह है कि हमलोगों को (बिक्रेतागण को) अति आवश्यक सांसारिक खर्च आदि के लिए रूपये कि बहुत ही आवश्यकता आ पड़ने के कारण रूपये संग्रह का दूसरा उपाय नहीं देखकर उपरोक्त विवरण में लिखी जमीन को बिक्री करने का प्रस्ताव करने पर ब्रेता के द्वारा खरीदने के लिए राजी होने पर उक्त जमीन का समयोग्यता सर्वोच्च मूल्य 6,00,000 रूपये, (छ. लाख रुपये) धार्य हुआ, जो आज उपरोक्त धार्यकृत मूल्य के समस्त रूपये को नगद या चेक के द्वारा समझाकर भाकर उपरोक्त विवरण में लिखी जमीन को बिक्री कर सदा के लिए निःस्वत्व हुए एवं उपरोक्त जमीन पर हमलोगों का (बिक्रेतागण का) जिस प्रकार का हक अधिकार दावी दावा आदि था, सब आज से ब्रेता के हाथ हस्तान्तर कर दिया। ब्रेता माय वारिशन हमलोगों के (बिक्रेतागण का) सम्पूर्ण स्वत्व से स्वत्वान होकर उक्त जमीन पर कच्चा पक्का मकान बनाकर या बाग—बगीचा लगाकर या प्रजाविली बन्दोबस्त फमता युक्त दान बिक्री ऐहनादि सर्व प्रकार का हस्तान्तर आदि का मालिक बनकर भोग दचाल करते रहें, इसमें बिक्रेतागण या बिक्रेतागण के उत्तराधिकारी को भविष्य में किसी भी तरह का आपत्ति या ईतराज नहीं होगा, करने पर भी आपत्ति आदि सर्वत्र नाजायज व अमान्य समझा जाएगा। बिक्री जमीन का झारखण्ड सरकार मा० अंचल कार्यालय चास से चारिज दाखिल कराकर सालाना मालगुजारी प्रति वर्ष अदाय देकर अपने नाम से रसीद ग्रहण करते रहे। उपरोक्त बिक्रीत जमीन पर हमलोगों का (बिक्रेतागण का) निर्विवाद रूप अधिकार एवं दखल एवं कब्जा हैं एवं आज से पहले इसे किसी भी तरह का दान बिक्री आदि नहीं किया हुआ है, एवं किसी प्रकार का बैंक ऋण आदि नहीं लिया हुआ है, तथापि अगर भविष्य में ब्रेता या ब्रेता के उत्तराधिकारीयों को दखल कब्जा में विवाद हो तो दखल दिलाने वो समस्त क्षतिपूर्ति के दैनदार होगे।

(3)

Sanjay Kumar

Mahesh
Harsheed
Att.

29. 9. 2020

उक्त तफशील वर्णित सम्पत्ति लेख्यकारी के पैतृक निजांश दखलीकार सम्पत्ति होता है। जो कि वर्तमान समय में लेख्यकारी के संसारिक खर्च एवं सुविधाजनक जमीन खरीदने के बास्ते रूपये की सख्त जरूरत पड़ने पर तफशील प्रकाशित सम्पत्ति बिक्री के सिवा दुसरा अन्य उपाय नहीं रहने के कारण लेख्यकारी ने अपना निजांश जमीन केवाला बिक्री की बात लेख्यधारी से किये तब चंद मानिन्द व्यक्तियों के समक्ष तफशील वर्णित सम्पत्ति का वाजिब बाजार मूल्य 6,00,000 रूपये, (छ: लाख रूपये) में तय हुआ जो दोनों पक्षों को मान्य है। तथा लेख्यकारी ने आज दिन—तारीख को लेख्यधारी से निम्न गवाहों के समक्ष मूल्य का कुल रूपये नगद भुगतान पाकर मोवाजी रकवा 05 डी०, (पौंच डिसमिल) जमीन मात्र, लेख्यधारी के हाथ केवाला बेचा वो आज दिन तारीख से दखल देकर मालिक बना दिया।

अब लेख्यधारी मेरे जैसे सब कुछ न्याय दखल में दखलीकार रहकर उक्त सम्पत्ति का सालाना मालगुजारी 05 पैसे की दर से मालिक जमीनदार झारखण्ड सरकार को प्रतिवर्ष चासूली देकर अपने नाम से लगान रसीद ग्रहण कर उक्त जमीन पर हर प्रकार से दखलीकार रहकर, उक्त जमीन पर कच्चा पक्का गृह निर्माण कर, वस वासकर, दान—बिक्रय हस्तान्तरण इत्यादि सर्व प्रकार का मालिक बनकर वंशापरम्परा पुन्र—पुन्रादि वारिशगण परमसुख से सुख भीग दखल करते रहे। इसमें लेख्यकारी को या उनके वारिशगण को किसी को किसी प्रकार का दावी—दावा या हक वो अधिकार नहीं रहेगा, करने पर वो कानूनन बिल्कुल नाजायज वो नामंजूर समझा जाएगा।

प्रकाश रहे कि उक्त बिक्रीत सम्पत्ति किसी दुसरे अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार का कच्चा—पक्का बैनामी, ऐग्रीमेन्ट, बैंक मोरगोज, बसियत, आममुख्तारनामा किया हुआ नहीं है। अगर भविष्य में किसी प्रकार का दखल या कच्चा करने में त्रुटि या क्षति प्रमाण हो, तो सारा क्षति पूर्ति का देनदार स्वयं लेख्यकारी होंगे, या उनके वारिशगण होंगे। बिक्रीत जमीन में किसी भी प्रकार का बाद यिवाद एवं किसी भी सक्षम न्यायालय में किसी भी प्रकार का मुकदमा लग्यित नहीं है तथा सरकारी संस्था वो गैर सरकारी संस्था में अवभार मुक्त है।

अतः मूल्य का कुल 6,00,000 रूपये, (छ: लाख रूपये) नगद भुगतान पाकर हमलोग लेख्यकारी अपने—अपने दिमाग कि स्वच्छदता व होश हवास में यह केवाला दस्तावेज पर सही सम्पादन किया जो कि समय पर काम आवें इति अंग्रेजी सन् 2020 दिनांक:—
22/09/2020

लेख्यकारी एवं लेख्यधारी के कथनानुसार यह केवाला दस्तावेज लिखा वो दोनों पक्षों को गवाहों के समक्ष पढ़कर सुनाया वो समझा दिया।

(4)

Jarj Kumar

Harihar Mahato

29.9.2020

घोषणा पत्र

बिक्रेता एवं ख्रेता यह घोषणा करता हूँ कि दस्तावेज में वर्णित सभी तथ्य बिल्कुल सही हैं, तथा जो भी दस्तावेज के साथ कानूनी कागजात का छायाप्रति संलग्न है बिल्कुल सही है, यदि किसी प्रकार गलत साबित होता है तो हम पक्षगण दण्ड के भागी होगे।

लेखक:- श्री महावीर महतो, नो० चास

प्रमाणित किया जाता है उक्त भूमि सरकारी, गैरमजरुआ, वन भूमि, अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर है एवं प्रत्येक व्यक्ति जिनका छाया चित्र दस्तावेज में लगा है, उनके बायें हाथ की उंगलियों का निशान मेरे सामने लिए गये हैं।

प्रारूपकर्ता - शक्ति पद महतो, ला० नं० 2/87,

लेख्यधारी का हस्ताक्षर

गवाह गण



Signature of Harihar Mahato

Jaij Kumar
29.9.2020



प्रदीप कुमार
तर्नि चंद्रा
बोलाटा

29.9.2020

प्रदीप कुमार
तर्नि चंद्रा
बोलाटा

Pradeep Kumar
father - Tarni Chandra
बॉलाटा, बोलाटा

(5)

Jaij Kumar